

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2568

दिनांक 30/11/2022

प्रार्थी :-

1. वन्तलीदेवी पत्नि भागवतराम
जाति मेघवाल,
निवासी देदूसर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. चतराराम पुत्र हकीमराम 2. हकीमों पत्नि नारणाराम
3. अगराराम 4. मूलाराम पि. नारणाराम, जाति मेघवाल
निवासी गुमानपुरा 5. मोडाराम 6. डूंगराराम पि. हेमराज
जाति जाट, निवासी बावड़ीकला 7. मोहनभाई पुत्र नरसा,
जाति सुथार, निवासी गुमानपुरा 8. भागवतराम पुत्र
पूनमाराम, जाति मेघवाल, निवासी देदूसर 9. गेरीदेवी
पत्नि टिलाराम 10. अंतुदेवी पत्नि आसूलाल, जातियान
मेघवाल, निवासी महादेवपुरा (बीजराड़)
11. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 50/2022

दिनांक : 30.11.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ी कला के मौजा गुमानपुरा के खेत खसरा सं. 1175/97 रकबा 01.6187 हैकटेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2569 to 2572

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी वन्तलीदेवी
3. विप्रार्थीगण चतराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन OK

दिनांक 30/11/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन OK